

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती सुनिता यादव, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 69 /2022

उनवान

- 1- गोपाल पुत्र देवी बलाई निवासी भोजपुर तहसील शाहपुरा
- 2- फूमा पुत्री देवी बलाई निवासी भोजपुर तहसील शाहपुरा
- 3- रामू पुत्री देवी बलाई निवासी भोजपुर तहसील शाहपुरा

- प्रार्थीगण

बनाम

- 1- किशन पुत्र मांगु गुर्जर निवासी भोजपुर
- 2- रामबक्ष पुत्र गोगा निवासी खारीखेड़ा
- 3- कालु पुत्र रायमल गुर्जर निवासी खारीखेड़ा
- 4- भोलु पुत्र देवी गुर्जर निवासी खारीखेड़ा
- 5- बद्रो पुत्र बालु बलाई निवासी खारीखेड़ा
- 6- सुखा पिता हीरा गुर्जर निवासी खारीखेड़ा
- 7- हजारो पुत्र मांगु गुर्जर निवासी खारीखेड़ा
- 8- लक्ष्मण पुत्र घीसा गुर्जर निवासी खारीखेड़ा
- 9- ब्रद्री पुत्र घीसा गुर्जर निवासी खारीखेड़ा
- 10- हीरू पुत्री सोहन पत्नी भेरू मीणा निवासी भोजपुर
- 11- खाना पुत्र भेरू बलाई निवासी सालरिया

- विपक्षीगण

उपस्थिति :- श्री अनिल कुमार शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

-: निर्णय :-

दिनांक- 07/06/2022

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है - ग्राम भोजपुर तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 1043 रकबा 1.48 है0, 1043/1 रकबा 0.02 है0, 816 रकबा 0.08 है0, 884 रकबा 0.19 है0, 888 रकबा 0.24 है0, 889 रकबा 0.26 है0, 983 रकबा 0.47 है0, 984 रकबा 0.06 है0 कुल किता 8 रकबा 2.80 हैक्टेयर के प्रार्थीगण संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगद्दी करवाई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 4, 6 लगायत 9 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा विपक्षीगण सं0 5, 10, 11 के विरुद्ध अभिभाषक प्रार्थीगण के कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल ज.माबन्दी ग्राम भोजपुर संवत् 2076 से 2079 तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदार में दर्ज होकर अपनी आराजीयात् की पत्थरगद्दी कराना चाहते है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा भोजपुर में स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त संयुक्त खातेदार की आराजीयात् किता 8 रकबा 2.80 हैक्टेयर की पुख्ता पत्थरगद्दी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुये पत्थरगद्दी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगद्दी हेतु कमिश्नर फीस 1200 रुपये कायम किये जाते है, जो प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगद्दी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07/06/2022 को सरे ईजलास सुनाया गया।



(सुनिता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगद्दी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)